न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 11 / 2024 स्थानान्तरण उपरान्त 141 / 2024

अनवान : –

1. वान्या चौधरी पुत्री पियुष चौधरी उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये वली कुदरती माता मरवीन चौधरी पुत्री विजेन्द्र भादू जाति जाट निवासी हाल अमरपुर राठान 33 एसटीजी हनुमानगढ़।

– प्रार्थीया

बनाम

1. प्रेम प्रतापसिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. शोभासिंह पत्नी प्रेम प्रतापसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. पियुष चौधरी पुत्र प्रेम प्रतापसिह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल सी स्कीम जयपुर
4. प्रदीप कुमार बैनीवाल पुत्र महावीर प्रसाद बैनीवाल जाति जाट निवासी 27 ए ब्लॉक श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. कपिल बैनीवाल पुत्र महावीर प्रसाद बैनीवाल जाति जाट निवासी 27 ए ब्लॉक श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल बैनीवाल हॉस्पीटल वीडीएस पैलेस के पास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा भादरा तहसील भादरा।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा बजरिए शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
9. प्रियंका पुत्री प्रेमप्रकाश सिह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **प्रार्थीया**
2. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **अप्रार्थीगण**
3. श्री अंजनी कुमार तिवाड़ी अधिवक्ता **अप्रार्थीगण**

निर्णय दिनांक: 05/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि [illegible] के [illegible] की चक न0 6 जेडीडब्ल्यू के मु0न0 6 के किला न0 4, ता 7, 14 से 19, 22 ता 25 [illegible] के किला न0 1, 10, 11, 20 मु0न0 11 के किला न0 10, 11 इसी चक के [illegible] न0 2 से 9, 12 से 14 इसी चक के मु0न0 11 के किला न0 19 ता 22, मु0न0 16 के किला न0 16, 25, [illegible] 35 के किला न0 5, 6, 15 मु0न0 36 के किला न0 1 ता 15, [illegible] 16 के किला न0 [illegible] 4 बिस्वा, किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न0 7/2 की 8 बिस्वा, किला न0 8/2 की 7 बिस्वा, किला न0 9/2 की 5 बिस्वा, किला न0 11 की 18 बिस्वा, किला न0 12 से 14 की तीन किला, किला न0 15 की 11 बिस्वा, किला न0 16 की 11 बिस्वा, किला न0 17 से 24 की 8 बीघा किला न0 25 की 11 बिस्वा, मु0न0 11 के किला न0 14 की 5 बिस्वा, किला न0 15 की 12 बिस्वा, 16 की 1 बीघा, 17 की 1 बीघा, 18 की 18 बिस्वा, किला न0 23 व 24 की 2 बीघा, किला न0 25 की 1 बीघा, मु0न0 37 के किला न0 1 ता 4 की 4 बीघा, किला न0 5 की 11 बिस्वा, किला न0 6 की 12 बिस्वा, किला न0 7 से 14 की 8 बीघा, किला न0 15 की 8 बिस्वा, किला न0 16 की 12 बिस्वा, किला न0 17 ता 20 की 4 बीघा, किला न0 24 ता 24 की 3 बीघा, किला न0 25 की 12 बिस्वा, मु0न0 10 के किला न0 21 से 25, मु0न0 37 के किला न0 1 ता 20, किला न0 22 ता 25, मु0न0 40 के किला न0 5 एवं खाता स0 17 के मु0न0 6 के किला न0 4 से 7, 14 से 19, 22 से 25 की 14 बीघा एवं मु0न0 7 के किला न0 1, 10, 11, 20 की 4 बीघा, मु0न0 11 के किला न0 2, 3, 4 की 4 बीघा किला न 6 की 17 बिस्वा, किला न0 7 से 11 की 5 बीघा, किला न0 12 की 11 बिस्वा, किला न0 13 की 12 बिस्वा, किला न0 14/1 की 4 बिस्वा, किला न0 19 की 14 बिस्वा, किला न0 20 की 10 बिस्वा, किला न0 21, 22 की 2 बीघा, मु0न0 12 के किला नप0 16/2 की 3 बिस्वा, किला न0 25 की 1 बीघा, मु0न0 35 के किला न0 5, 6 की 2 बीघा, किला न0 15 की 1 बीघा, मु0न0 36 के किला न0 1 ता 15 की 15 बीघा कुल किता 55 की 51 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी कृषि भूमि हुआ करती थी जो धन्नाराम के गुजरने के बाद उसके बेटे बेटियों को विरासतन प्राप्त हुई।

अप्रार्थी स0 1 न्याय विभाग में नौकरी करता था तथा कानून का अच्छा जानकार था इसलिए उसने अपने नाम से भाईयों में हुए विभाजन में चक 6 जेजीडब्ल्यूजो की अप्रार्थी स0 1 के पिता धन्नाराम के नाम से भूमि एकीकरण से समय में दर्ज थी में से चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता स0 60/52 के मु0न0 11 के किला न0 19 ता 22, मु0न0 12 के किला न0 16/2, 25, मु0न0 35 के किला न0 5, 6, 15 मु0न0 36 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/, 15/2 कुल किता 24 की 5.654 हैक्ट नहरी कृषि भूमि जिसमें 5.579 हैक्ट नहरी, 0.0750 हैक्ट गै0मु0 खाला अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। भूमि एकीकरण के समय अप्रार्थी स0 1 के सगे भाई ने यशवन्त सिंह पु0मु0 चेतराम दिखाकर अपने नाम से दर्ज करवा रखी थी उक्त भूमि भाई बंटवारा में अप्रार्थी स0 1 ने अप्रार्थी स0 2 शोभा देवी जो की अप्रार्थी स0 1 की पत्नी है के नाम से चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता स0 134/29 के मु0न0 10 के किला न0 21 ता 25, मु0न0 37 के किला न0 1 ता 15 कुल किता 20 की 4.6300 हैक्ट नहरी कृषि भूमि व इसी चक के खाता स0 135/31 के मु0न0 10 के किला न0 6, 7/2, 11/2, 14/2, 15, 16, 17/2, 20/2 मु0न0 11 के किला न0 14/2, 15/1, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल किता 19 की 2.9480 हैक्ट नहरी जिसमें से 2.873 हैक्ट नहरी, 0.075 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि अप्रार्थी स0 2 के नाम से दर्ज करवा ली।

अप्रार्थीया स0 2 के नाम दर्ज करवाई गई उपरोक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदार है। अप्रार्थीया स0 2 के वा[illegible] भूमि [illegible]वल मात्र कर्ता खानदान होने के कारण ही दर्ज है जो की अप्रार्थी स0 [illegible] में मिली थी अप्राथीया स0 2 ने कभी भी उक्त भूमि खरीद नही की थी क्योंकि [illegible]सका कोई अलग आय का साधन नही था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भारत सरकार ने हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन करके लड़कियों को भी लड़कों के बराबर जन्म से पैतृक भूमि में हिस्सा होने का संशोधन किया था इस प्रकार प्रार्थीया एवं अप्रार्थीग्ण संयुक्त हिन्दु मिताक्षरा सहदायिकी परिवार के सदस्य है जो कि संयुक्त हिन्दु परिवार का गठन करते है। प्रार्थीया का जन्म 12.07.2207 को हुआ था प्रार्थीगया का पिता पियुष अप्रार्थी स0 3 का वाद भूमि में जन्म से संयुक्त हिन्दु सहदायिकी परिवार का सदस्य होने के कारण 1/3 हिस्सा है इसलिए प्रार्थीया का अपने पिता के साथ 1/3 संयुक्त रूप से यानि की 1/6 हिस्सा जन्म से हक व हिस्सा होने के कारण प्रार्थीया कुल वाद भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 व 2 के नाम दर्ज है तथा बिना परिवार की जायज जरूरत के केवल मात्र प्रार्थीया की माता के साथ अनबन हो जाने के कारण वाद भूमि को बेचान करने आमादा है तथा किसी अजनबी के साथ औने पौने दाम पर वाद भूमि का बेचान का सौदा कर लिया है और वाद भूमि का बैयनामा दिनांक 26.02.2024 को प्रदीप व डॉ कपिल के नाम करवा दिया है। प्रार्थीया का पालन पोषण उसकी माता करती है अप्राथी स0 3 व उसके परिवार ने प्रार्थीया की माता को अपने घर से अलग कर रखा है इसलिए अप्रार्थी स0 1 ता 3 आपस में मिलकर चाहते है कि प्रार्थीया को वाद भूमि में कुछ भी ना मिले इसलिए प्रार्थीया जिसका अप्रार्थी स0 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में जन्म से 1/6 हिस्सा बनता है जिसे प्रार्थीया अपने नाम से दर्ज करवा पाने की मजाज कानूनी है।

दिनांक 26.02.2024 को पुश्तैनी भूमि में प्रार्थीया के 1/6 हिस्से का बैयनामा अप्रार्थी स0 1 द्वारा अप्रार्थी स0 4 व 5 के पक्ष मे करवा दिया उक्त बैयनामे बमुकाबले हक हकूक प्रार्थीया नाकाबिल पाबन्दी अवैध रूप से ही शुन्य व बेअसर है। अप्रार्थी स0 1 व 2 के नाम उक्त वाद भूमि कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है जिसमें प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 3 का भी हक हिस्सा है। वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 व 2 के नाम दर्ज होने से अप्रार्थी स0 1 ता 3 आपस में मिलकर उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है अगर अप्रार्थी स0 1 ता 3 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को होगी अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी भादरा से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 28.02.2024 को चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता स0 60/52 के मु0न0 11 के किला न0 19 की 0.177 हैक्ट, 20 की 0.1260 हैक्ट, 21 ता 22 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, मु0न0 12 के किला न0 16/2 की 0.0380 हैक्ट, किला न0 25 की 0.253 हैक्ट नहरी, मु0न0 35 के किला न0 5, 6, 15 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, मु0न0 36 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, किला न0 5/1 की 0.228 हैक्ट, किला न0 5/2 की 0.0250 हैक गैमु0 खाला, किला न0 6/1 की 0.228 हैक्ट नहरी, किला न0 6/2 की 0.0250 हैकट खाला किला न0 7 ता 14 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट किला न0 15/1 की 0.2280 हैक्ट किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न0 15/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, कुल 5.654 हैक्ट जिसमें से 5.5790 है0 नहरी, व 0.075है0 गै0मु0 खाला, तथ चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता स0 134/129 के मु0न0 10 के किला न0 21 ता 24 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी व किला न0 25 की 0.139 हैक नहरी, मु0न0 37 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, किला न0 5 की 0.139 हैक्ट, किला न0 6 की 0.152 हैक्ट, किला न0 7 ता 14 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, किला न0 15 की 0.152 हैक्ट कुल 4.6300 हैक्ट नहरी तथा चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता स0 135/131 के मु0न0 10 के किला न0 6 की 0.051 हैक्ट, किला न0 7/2 की 0.101 हैक, किला न0 11/2 की 0.190 हैक्ट, किला न0 14/2 की 0.215 हैकट, किला न0 15–16 प्रत्येक की 0.139 हैक्ट, किला न0 17/2 की 0.215 हैक्ट, किला न0 20/2 की 0.190 हैक्ट, मु0न0 11 के किला न0 14/2 की 0.063 हैक्ट, किला न0 15/1 की 0.127 हैक्ट, किला न0 15/2 की 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला, किला न0 16/1 की 0.228 हैकट, किला न0 16/2 की 0.025 गै0मु0 खाला, किला न0 17 की 0.253 हैक्ट, किला न0 18 की 0.228 हैक्ट, किला न0 23–24 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, किला न0 25/1 की 0.228 हैक्ट, किला न0 25/2 की 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 2.9480 जिसमें 2.8730 हैक्ट नहरी व 0.075 गै0मु0 खाला भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण संख्या उक्त वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अजनबी व्यक्तियों को बैचान/किरायानामा अथवा इकरारनामा नही करे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का खंडन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की धन्नाराम के 7 संताने हुई थी जबकि सजरा में 6 बतायी गयी है मु0 सुमित्रा देवी को सजरा में नही दर्शाया गया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है श्री यशवंत सिंह को धन्नाराम के परिवार मे दर्शाया गया है जबकि वह धन्नाराम के सगे भाई चेतराम का गोद का बेटा है तथा भाई व बहनो से मिली खातेदारी भूमि भी स्वयं पैदा कर्दा है। यशवंत सिंह को उक्त भूमि अपने पिता चेतराम से विरासत में मिली थी फिर यशंवत सिंह ने अप्रार्थी स0 2 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2013 को 4.630 हैक्ट को विक्रय कर दस्तावेज तस्दीक रजिस्ट्री करवाया तथा अप्रार्थी स0 2 ने दिनांक 04.03.2005 को 2.948 हैक्ट भूमि किमतन खरीद कर बैयनामा अपने पक्ष में तस्दीक करवाया था। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद नही है तथा न ही अप्रार्थी स0 2 के नाम कर्ता खानदान दर्ज हुई है जबकि रजिस्टर्ड बैयनामो के मुताबिक उक्त भूमि अप्रार्थी स0 2 द्वारा खरीद की हुई है। जिसमे प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही है। अप्रार्थी स0 1 द्वारा अपनी स्वयं पैदाकर्ता भूमि को विक्रय किया है जिसका उसे कानूनी अधिकार है। प्रार्थीया की माता अपनी इच्छा से अप्रार्थी स0 1 का घर छोड़कर चली गई है। प्रार्थीया द्वारा हकों की घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है जबकि प्रार्थीया का पिता अप्रार्थी स0 3 मौजूद है तथा स्वयं खातेदार उसका पिता अप्रार्थी स0 3 मौजूद है इसलिस प्रार्थीया के लिए अभी तक उत्तराधिकार ही नही खुला है ऐसे मै वह अपने पिता व दादा के जीवनकाल में अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हको की घोषण का वाद नही ला सकती हैं। प्रार्थीया ने बैयनामा दिनांक 26.02.2024 को अपने हक तक अवैध व शुन्य घोषित करवाने का दावा पेश किया है जिसका केवल दिवानी न्यायालय से ही मांगा जा सकता है। अप्रार्थी स0 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अप्रार्थी स0 4 व 5 ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को खंडन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश की उक्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 को उसके भाई/बहनो एवं अप्रार्थी स0 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की हुई है। अप्रार्थी स0 1 ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए अपने नाम दर्ज खातेदारी को दिनांक 26.02.2024 को बाजार भाव से किमत लेकिन विक्रय किया है अप्रार्थी स0 4–5 के नाम से हुआ बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर हुआ है। वाद भूमि के कब्जा व स्वामित्व में कोई विवाद नही है। उक्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 की पश्तैनी खातेदारी नही है प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता का उक्त खातेदारी में कोई हक व हिस्सा नही है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की अप्रार्थीया स0 2 के नाम दर्ज करवाई गई उपरोक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदार है। अप्रार्थीया स0 2 के वाद भूमि केवल मात्र कर्ता खानदान होने के कारण ही दर्ज है जो की अप्रार्थी स0 1 को अपने भाईयों से बंटवारा में मिली थी अप्राथीया स0 2 ने कभी भी उक्त भूमि खरीद नही की थी क्योंकि उसका कोई अलग आय का साधन नही था। अप्रार्थी स0 1 के सगे भाई ने यशवन्त सिंह पु0मु0 चेतराम दिखाकर अपने नाम से दर्ज करवा रखी थी उक्त भूमि भाई बंटवारा में अप्रार्थी स0 1 ने अप्रार्थी स0 2 शोभा देवी जो की अप्रार्थी स0 1 की पत्नी है के नाम से चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता स0 134/29 प्रार्थीया का जन्म 12.07.2207 को हुआ था प्रार्थीगया का पिता पियुष अप्रार्थी स0 3 का वाद भूमि में जन्म से संयुक्त हिन्दु सहदायिकी परिवार का सदस्य होने के कारण 1/3 हिस्सा है दिनांक 26.02.2024 को पुश्तैनी भूमि में प्रार्थीया के 1/6 हिस्से का बैयनामा अप्रार्थी स0 1 द्वारा अप्रार्थी स0 4 व 5 के पक्ष मे करवा दिया उक्त बैयनामे बमुकाबले हक हकूक प्रार्थीया नाकाबिल पाबन्दी अवैध रूप से ही शुन्य व बेअसर है। इसलिए प्रार्थीया का अपने पिता के साथ 1/3 संयुक्त रूप से यानि की 1/6 हिस्सा जन्म से हक व हिस्सा होने के कारण प्रार्थीया कुल वाद भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है। वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि होने का नाजायज फायदा उठाकरे अजनबी व्यक्तियों को बेचान करना चाहता है यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि की तफसिली दान रहन, बेय व मुन्तकिल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीया द्वारा हकों की घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है जबकि प्रार्थीया का पिता अप्रार्थी स0 3 मौजूद है तथा स्वयं खातेदार उसका दादा अप्रार्थी स0 1 मौजूद है इसलिस प्रार्थीया के लिए अभी तक उत्तराधिकार ही नही खुला है ऐसे मै वह अपने पिता व दादा के जीवनकाल में अपने हको की घोषण का वाद नही ला सकती हैं। प्रार्थीया द्वारा जबाबुल जवाब में अंकित किया है कि दिनांक 21.05.1971 को धन्नाराम द्वारा किये गये बंटवारानामा के आधार पर उक्त भूमि गैरसायल स0 1 को प्राप्त होनी थी जो विश्लेश्वर व यशवंतसिंह के नाम हो गई तथा अप्रार्थी स0 1 व 2 ने बिना किसी प्रकार का प्रतिफल दिये उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जो अप्रार्थी स0 1 व 2 की स्वय अर्जित नही मानी जा सकती है जबकी हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के पृष्ठ 339 के क्लोज 6(5) यह हैल्ड किया है कि 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व किया गया बंटवारा लागु नही होगा। यशंवत सिंह ने अप्रार्थी स0 2 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2013 को 4.630 हैक्ट को विक्रय कर दस्तावेज तस्दीक रजिस्ट्री करवाया तथा अप्रार्थी स0 2 ने दिनांक 04.03.2005 को 2.948 हैक्ट भूमि किमतन खरीद कर बैयनामा अपने पक्ष में तस्दीक करवाया था। अप्रार्थी स0 2 के नाम उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर दर्ज हुई है। बैयनामा बाबत अनुतोष केवल दीवान न्यायालय में माना जा सकता है। अप्रार्थी स0 4 व 5 ने समस्त प्रतिफल देकर उक्त वाद भूमि खरीद की है। अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिज खारिज है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थीया का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीया का जन्मजात हक हिस्सा है उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि है दिनांक 21.05.1971 को धन्नाराम द्वारा किये गये बंटवारानामा के आधार पर उक्त भूमि गैरसायल स0 1 को प्राप्त होनी थी जो विश्लेश्वर व यशवंतसिंह के नाम हो गई तथा अप्रार्थी स0 1 व 2 ने बिना किसी प्रकार का प्रतिफल दिये उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जो अप्रार्थी स0 1 व 2 की स्वय अर्जित नही मानी जा सकती है जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.02.2013 तथा दिनांक 04.03.2005 के अनुसार उक्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 2 की स्वयं खरीद शुदा भूमि है तथा अप्रार्थी स0 4 व 5 द्वारा उक्त वाद भूमि का समस्त प्रतिफल विक्रेता अप्रार्थी स0 1 को देकर खरीद गई है। अप्रार्थी स0 2 के पक्ष में तस्दीक रजिस्टर्ड बैयनामे आदिनांक तक वैध है उक्त बैनामो के खंडन में प्रार्थीया द्वारा कोई भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दस्तावेज पेश नही किया गया है अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में बतौर रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना किसी ठोक आधार/कारण के पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है तथा प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस आधार व्यक्त/ पेश नही किया जिससे अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक हो मात्र कथनों के आधार पर रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है एवं प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीया के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीया कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 28.02.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:45 IST
Reason: SelfAttested